संख्या: 54/2016/790/छप्पन-2016-01/2015

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उ0प्र0
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक : 22 जुलाई, 2016

विषय: कानपुर (देहात) की तहसील रसूलाबाद में एक नयी राजकीय हवाई पट्टी की स्थापना हेतु आपसी समझौते के आधार पर क्रय /पुनर्ग्रहण की जाने वाली भूमि के कुल मूल्य पर प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याः 839-40/ए0एफ0-114/2016, दिनांक 06 जनवरी, 2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस परिप्रेक्ष्य में दिनांक 31 मई, 2016 को शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त यह पाया गया कि रसूलाबाद हवाई पट्टी के निर्माण हेतु आवश्यक भूमि के क्रय/व्यवस्था हेतु सक्षम स्तर से भूमि के कुल मूल्य रूपये 49,30,31,200/- (रूपये उनचास करोड़ तीस लाख इकत्तीस हजार दो सौ मात्र) पर प्रशासकीय अनुमोदन हो चुका है। सम्प्रति आवश्यक भूमि के कुल मूल्य में वृद्धि होकर अब इसका मूल्य रूपये 62,07,86,121/- (रूपये बासठ करोड़ सात लाख छियासी हजार एक सौ इक्कीस मात्र) हो गया है, जिस पर प्रशासकीय अनुमोदन की आवश्यकता है। अभी वित्तीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

3- इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या- 20/2015/436/छप्पन-2015-01/2015, दिनांक 30.3.2015 एवं शासनादेश संख्या- 53/2015/1097/छप्पन-2015-01/2015, दिनांक 10.7.2015 के द्वारा प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान करते हुए कुल रूपये 49,30,91,200/- (रूपये उनचास करोड़ तीस लाख इक्यानवे हजार दो सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त जनपद कानपुर (देहात) की तहसील रसूलाबाद में एक नयी राजकीय हवाई पट्टी की स्थापना हेतु आपसी समझौते के आधार पर भूमि क्रय किये जाने के लिए मूल्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए कुल रूपये 62,07,86,121/- (रूपये बासठ करोड़ सात लाख छियासी हजार एक सौ इक्कीस मात्र) पर राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान करते हैं।

5- इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या- 79/2015/1298/छप्पन-2015-01/2015, दिनांक 30.9.2015 में निहित अन्य शर्तों का यथावत् पालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

संख्याः 54/2016/790(1)/छप्पन-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर।
(5) जिलाधिकारी, कानपुर देहात।
(6) अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व/भूमि अध्यासि अधिकारी, कानपुर देहात।
(7) निदेशक, भूमि अध्यासि, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
(8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
(9) राजस्व अनुभाग-13
(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।